की जानकारी प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुई। जमाबंदी के साथ–साथ नक्शे को मिलान किया तो वर्तमान नक्शे में भी भारी अन्तर हैं। प्रार्थीगण का उक्त आराजी का पुराना राजस्व नक्शा था उसी अनुसार नया राजस्व नक्शा नहीं होकर वर्तमान राजस्व नक्शे में परिवर्तित कर प्रार्थीगण की भूमि के भू–भाग को कम कर दिया गया है। उक्त राजस्व जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे में हुई त्रुटी को पूर्व जमाबंदी रेकार्ड एंव राजस्व नक्शे के आधार पर दुरुस्त किया जाना न्याया हित में आवश्यक है। पुर्व राजस्व ट्रेश के अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज है परन्तु राजस्व नक्शा ट्रेश में गलत अंकन होने के कारण प्रार्थीगण को काफी नुकसान पहुंच रहा हे।

अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अर्न्गत धारा 136–131 रा0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेश में जो त्रुटी है को विशुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान करावे साथ ही आराजी नं0 59 के भू भाग को नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है को पूर्ण किये जाने का आदेश फरमावे तथा आराजी नं0 58 जो त्रुटिवश दर्ज हो गया है को विलोपित किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युतर जवाब शा. पत्र है। विपक्षी ने जवाब में निवेदन किया है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम लालजी का खेडा पोस्ट कुन्दवा में स्थित है जो पूर्व नक्शा तरमीम एवं वर्तमान नक्शा में भिन्नता है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार सेटलमेण्ट पूर्व के नक्शे एवं सेटलमेण्ट बाद के नक्शे में भिन्नता है प्रार्थी का वर्तमान में कब्जा पूर्व की स्थिती के अनुसार ही है। मौके की स्थिती को स्पष्ट करने के लिए भू.अ. निरिक्षक पारडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। भू.अ.निरिक्षक ने कमिश्नरी रिपोर्ट तैयार कर पेश की जिसमे निवेदन किया है कि ग्राम लालजी का खेडा पोस्ट कुन्दवा में सेटलमेण्ट से पूर्व के आरजी नं. 38 रकबा 4.15 बीधा व आराजी नं0 **38/1** रकबा 4.15 बीघा का नये राजस्व रेकार्ड में संयुक्त आराजी नं0 59 रकबा 2.05 है तथा पुराने आराजी नं. 37 का रकबा 4.13 बीधा का नये राजस्व रेकार्ड मे आराजी नं0 58 रकबा 1.00 है0 दर्ज है। पुराने आराजी न. 38 एवं 38/1 का नये रेकार्ड में एक ही आराजी नं. 59 दर्ज है पुराने रेकार्ड में इन दोनो आराजी नम्दरो का क्षेत्रफल सही दर्ज है लेकिन सेटलमेण्ट के बाद के नये रेकार्ड में इन आराजी नं. का रकबा जमाबंदी में सही दर्ज है किन्तु नक्शे में गलत दर्ज है। आराजी नं. 59 को क्षेत्रफल नये नक्शे में 0.09 ही दर्ज है जो गलत है। सही क्षेत्रफल 2.05 है0 होना चाहिये। आराजी नं. 58 का क्षेत्रफल नये नक्शे में 2.76 है0 है जो गलत हैं सही रकबा 1.00 है0 होना चाहिये। वर्तमान नये रेकार्ड में आराजी नं0 59 नागणेच्या ग्रेनाईट लालजी का खेडा व आराजी नं0 58 में शर्मा मिनरल एण्ड ग्रेनाईट टीकड के नाम दर्ज है. भु0अ0 निरीक्षक ने मौके रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी पेश किया जो शामिल फाईल किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण ने प्रकरण में बहस की। विधान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम लालजी खेड़ा पोस्ट कुन्दवा में प्रार्थीगण कि खातेदार की भूमि स्थित हैं जिसके आराजी नं. 59 रकबा 2.0500 है0 है। इस भूमि को प्रार्थी गण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 16.7.2020 को क्रय की है तब से आज दिनांक तक प्रार्थीगण मौके पर काबिज है परन्तु राजस्व नक्शे में आराजी नं. 59 को गलत दर्शाया गया है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार मालिक है एवं उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज कास्त हैं प्रार्थीगण ने उक्त भूमि जरिये रजिस्र्ड विक्रय पत्र से दिनांक 16.7.2020 को क्रय की थी तभी से प्रार्थीगण का ही कब्जा है एंव विक्रय पत्र अनुसार ही भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित है। उक्त भूमि के राजस्व नक्शे में आराजी नं. 59 को अंकित किया है का रेखाचित्र अंकित किया गया है वह त्रुटिपुर्ण अंकित किया गया है। जबकी उक्त आराजी नं. पुराने नक्शा ट्रेश में प्रार्थीगण की उक्त आराजी के पास कोई आराजी नं. नहीं है उक्त आराजी का रेखाचित्र भी वर्तमान नक्शा रेखाचित्र से काफी भिन्न है। वर्तमान राजस्व नक्शे में प्रार्थी की आराजी में 58 अंकित है तथा आराजी न. 59 रकबा 2.0500 है0 है परन्तु राजस्व नक्शे में प्रार्थी की उक्त आरजी भुमि को छोटा अंकित कर दिया है जो त्रुटिपुर्ण है जब प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

अपना राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने हेतु तहसील कार्यालय पहुंचा तो वहा पर जानकारी हुई तब राजस्व रेकार्ड में शुद्धी हेतु यह दावा आप न्यायालय में धारा 136–131 भू.रा.अधिनियम का पेश किया गया है अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आराजी नं. 59 रकबा नये नक्शे में 0.09 की बजाय 2.05 है0 तथा आराजी नं. 58 का रकबा नये नक्शे में 2.96 है0 की बजाय 1.00 है0 दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे। विपक्षी के बहस सुनी विपक्षी ने बहस में निवेदन किया कि सेटलमण्ट के समय रेकार्ड में त्रुटी हुई है वर्तमान में राजस्व रिकार्ड एवं पूर्व नक्शे अनुसार एवं प्रार्थी के कब्जे अनुसार अंकन किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं हैं।
प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, जवाब विपक्षी, नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में सलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन एवं अधिवक्ता गण की बहस से स्पष्ट है कि ग्राम लालजी का खेडा पोस्ट कुन्दवा तह0 देवगढ़ की उक्त वर्णित खातदेरी भूमि का वक्त सेटलमेंट रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूल से त्रुटीपूर्ण अंकन हो गया है जो भूलवश हुआ है प्रार्थीगण इस भूलवश हूई त्रुटि को सही अंकन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकारी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में त्रुटि शुद्धि के आदेश दिये जाते है कि जमाबंदी एवं पूर्व नक्शे के रिकार्ड अनुसार आराजी नं. 58 एवं आराजी नं. 59 अंकन किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर देवगढ
जिला राजसमन्द

निर्णय बइजलास श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा सहायक कलक्टर (S.D.O.) देवगढ़ जिला राजसमन्द

प0स0 52 / 2020 प्रा.पत्र /

निर्णय दिनांक 26.07.2021

–अनवान–

1. लक्ष्मण सिंह पिता गोवरधन सिंह जाति राजपुत निवासी लालजी का खेडा।
2. बुध सिंह पिता गोवरधन सिंह जाति राजपुत निवासी लालजी का खेडा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरियके प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ।
2. देवीशकर पिता वरदी शंकर जाति ब्राह्मण निवासी टिकड तहसील आमेट जि0 राजसमन्द।
3. मेसर्स शर्मा मिनरल एण्ड ग्रेनाईट मुकाम पो0 टिकड तहसील आमेट जि0 राजसमन्द।

विपक्षीगण

उपस्थित –श्री राजेश समदानी वकील प्रार्थी.
विपक्षी स0 1 तहसीलदार देवगढ.
विपक्षी स0 2 देवी शंकर पिता वरदी शंकर जाति ब्राह्मण निवासी टिकड तहसील आमेट जिला राजसमन्द
विपक्षी स0 2 मेसर्स शर्मा मिनरल एण्ड ग्रेनाईट मु0 पो0 टिकड तहसील आमेट जि0 राजसमन्द।

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136–131 राज0 भू.राजस्व अधि0

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम लालजी का खेडा पोस्ट कुन्दवा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिसके आ0 न0 59 रकबा 2.0500 हैक्टर है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 16.07.2020 को खरीद की है। उक्त भूमि जिसपर खातेदार काबिज चले आ रही है। उक्त भूमि उसी अनुसार मौके पर काबिज है परन्तु राजस्व ट्रेश मे आराजी न0 59 को गलत दर्शा गया है। आराजी न0 59 के नक्शा ट्रेश मे अंकित आराजी स0 58 को विलोपित किये जावे और नक्शे मे जो लाल स्याही से दर्शाया गया है को पूर्ण रूप मे तरमीम कियाजावे। जहा पर पूर्व मे ही खातेदर काबिज चले आ रहे थे। उक्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदारी मालिक है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 16.7.2020 को खरीद की तथा उक्त खरीद से ही भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। परन्तु उक्त भूमि के राजस्व नक्शे मे उक्त आराजी न0 58 अंकित किया है का रेखाचित्र अंकित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। जबकी उक्त भूमि के पुराने राजस्व ट्रेश मे प्रार्थीगण खातेदार की उक्त आराजी के पास कोई आराजी नहीं होकर प्रार्थीगण खातेदार की एकमात्र उक्त आराजी दर्ज है तथा उक्त आराजी का रेखाचित्र भी वर्तमान नक्शा रेखाचित्र से काफी भिन्न है वर्तमान राजस्व नक्शे मे प्रार्थी की आराजी मे रकबा मे 58 अंकित है तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी न0 59 रकबा 2.0500 हैक्टर है परन्तु राजस्व नक्शे मे प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि से छोटा अंकित कर दिया गया है। जो त्रुटिपुर्ण है जिस कारण प्रार्थीगण को भारी परेशानी हो रही है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड की पुरानी सही जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेश है। उक्त त्रुटि

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द